

23

त्रैमासिक निरीक्षण आख्या

सितम्बर 28.09.2020 | 23-09-2020

द्वारा

प्रभारी अधिकारी श्री रनवीर सिंह
केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूँछताँछ अनुभाग
जनपद न्यायालय, गोण्डा।

प्रश्नक.

रमवीर सिंह,
प्रभारी अधिकारी
केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग,
जजरी-गोण्डा।

सेवा में


माननीय जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा।

विषय:

त्रैमासिक निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों का प्रस्तारण अनुपालन।

क्र.सं०	पेज संख्या	प्रस्तर संख्या	
1	01	02	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
2	01	04(1)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
3	02	02	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
4	02	07 (बिन्दु सं०-4)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
5	03	03 (बिन्दु सं०-7)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।
6	03	04 (बिन्दु सं०-8)	कार्यालय लिपिक द्वारा दिये गये निर्देशों का वास्तविक एवं भौतिक रूप से अनुपालन किया गया एवं किया जा रहा है।

प्रमाणित किया जाता है कि त्रैमासिक निरीक्षण में दिये गये समस्त निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित लिपिक द्वारा वास्तविक एवं भौतिक रूप से किया गया एवं किया जा रहा है।


रमवीर सिंह

प्रभारी अधिकारी/केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ
अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा।

Seen
sd-
Distt Judge
Gonda
01.10.2020

त्रैमासिक निरीक्षण आख्या बावत तृतीय त्रैमास माह सितम्बर 2020 कार्यालय केन्द्रीय
निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा

द्वारा रमवीर सिंह, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०-६, गोण्डा।

निरीक्षण आख्या

वर्तमान निरीक्षण आख्या की तिथि 28.09.2020 / 29.09.2020

- 1- मैने दिनांक 28.09.2020 / 29.09.2020 को निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा का त्रैमासिक निरीक्षण किया, जिसकी आख्या निम्नवत् है-

इस निरीक्षण के पूर्व इस अनुभाग का त्रैमासिक निरीक्षण पूर्व प्रभारी अधिकारी वरुण अफसो प्रथम अपर प्रथम न्यायाधीश परिवार न्यायालय गोण्डा द्वारा दिनांक 16.06.2020 को किया गया था, उक्त निरीक्षण आख्या में दृष्टिगत समस्त निर्देशों का अनुपालन करने के उपरान्त निरीक्षण आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के अवलोकनार्थ प्रशासनिक कार्यालय में दिनांक 22.07.2020 को समय से प्रेषित की जा चुकी है। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में भी इसी प्रकार त्रैमासिक निरीक्षण आख्यायें समय से प्रशासनिक कार्यालय में प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित करें।

- 2- यह अनुभाग जनपद न्यायालय गोण्डा के प्रांगण में स्थित दस न्यायालय भवन के मूल पर स्थित है इस अनुभाग के अलावा उस कक्ष के आधे भाग में दीवानी प्रतिलिपि विभाग का कार्यालय स्थित है। निरीक्षण के समय कोई अधिवक्ता या उनसे सम्बन्धित अन्य कोई व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित नहीं पाया गया।

- 3- इस अनुभाग में निम्नलिखित कर्मचारी नियुक्त हैं, जिसका नाम व प्रतिनियुक्त निम्नवत् है-

क्र०सं०	नाम व पदनाम कर्मचारी	प्रतिनियुक्त की तिथि
1	श्री अमर लाल (कार्यालय लिपिक)	25.03.2019

निरीक्षण के समय श्री अमरलाल अपनी सीट पर बैठकर कार्य करते हुए पाये गये।

- 4- मैने निरीक्षण के समय सम्बन्धित लिपिक द्वारा अनुरक्षित पंजिकाओं का अवलोकन किया, जो निम्नवत् है -

1. पंजिका प्रपत्र सं. 26 अध्याय 9 नियम 240 सामान्य नियम व्यवहार

यह पंजिका सादे कागज पर निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित की गई है। पंजिका पर आमुख/शीर्षक नियमानुसार चरपा किया गया है। यह पंजिका दिनांक 01.01.2020 से प्रारम्भ की गई है। आज दिनांक 28.09.2020 को 01 निरीक्षण प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। इस पंजिका के अवलोकन से पाया गया है कि त्रैमास सितम्बर 2020 में कुल 01 निरीक्षण प्रार्थना पत्र निरीक्षण तिथि तक प्रस्तुत हुए। सम्बन्धित लिपिक द्वारा बताया गया कि पत्रावलियों का निरीक्षण करते समय निरीक्षणकर्ता द्वारा पेन्सिल का प्रयोग किया जा रहा है एवं प्रत्येक कार्य दिवस में प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रार्थना पत्रों को पंजिका में दर्ज करके सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालय एवं अभिलेखागार में उसी दिन प्राप्त करा दिया जाता है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालय एवं अभिलेखागार द्वारा कुछ प्रकरणों को छोड़कर शेष प्रकरणों में उसी दिन वाँछित अभिलेख निरीक्षण अनुभाग में प्रस्तुत किये जाते हैं। सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे मामलों सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालयों/अभिलेखागार को वाँछित अभिलेख निरीक्षण हेतु उसी दिन प्रस्तुत नहीं कराये जाते हैं, उन मामलों से सम्बन्धित न्यायालयों/कार्यालय/अभिलेखागार को स्मृतिपत्र

मार्ज सी,
इसको का
पुस्तिका
क रूप में
कानूनी
एवं लिपिक
रहा है

जाते किन्तु जाना सुनिश्चित करें। अभिलेखों का निरीक्षण प्रत्येक कार्य दिवस में 3 से 4 बजे को बीच मानकीय जनपद न्यायाधीश गोण्डा के निर्देशानुसार करतया जाता है।

निरीक्षण पंजिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ है कि अभिलेखागार/न्यायालयों एवं कार्यालयों में स्थित वादों की संख्या की वृद्धि से प्रस्तुत निरीक्षण प्रार्थना पत्रों की संख्या में कमी आती है, जिसके यह स्पष्ट है कि कुछ न्यायालयों/कार्यालयों/अभिलेखागार में अनिश्चित निरीक्षण को बढ़ावा मिल रहा है। तत् सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे न्यायालयों/कार्यालयों को सूचित कर उनके पीछरीन अधिकारीगण को तत्स्थित से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें, ताकि निरीक्षण प्रार्थनापत्रों की प्रस्तुतिकरण में व राजस्व आय में वृद्धि हो सके।

निरीक्षण पंजिका के सभी स्तम्भ पूर्ण रूप से भर गये हैं। अतः इस सम्बन्ध में किसी दिश्यों की आवश्यकता नहीं है।

2. पूछताछ प्रार्थना पत्रों की पंजिका अध्याय 9 नियम 224 व 225 सामान्य नियम व्यवहार-

यह पंजिका सामान्य नियम व्यवहार के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर अनुरक्षित की गई है। पंजिका पर आमुख/शीर्षक लगाया गया है। पंजिका के अवलोकन से विदित होता है कि आज दिनांक 28.09.2020 को पूछताछ के कुल 23 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं। निरीक्षण तिथि को इस पंजिका की अंतिम प्रविष्टि प्रार्थना पत्र सं० 23 दिनांकित 28.09.2020, जो श्री विवेक कुमार यादव एडवोकेट द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय सिविल जज (जुडिओ)/एफ0टी0सी0 नवीन, गोण्डा से सम्बन्धित है, जो सुखराज यादव बनाम मुल्लर यादव आदि से सम्बन्धित है। आज प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया जा चुका है।

3. न्यायशुल्क पंजिका संख्या-103 (अध्याय 14 नियम 408 सामान्य नियम व्यवहार)

यह पंजिका दिनांक 01.08.2020 से अनुरक्षित है। इस पंजिका में माह जुलाई, अगस्त, सितम्बर 2020 में निरीक्षण तिथि तक कुल 112 निरीक्षण प्रार्थना पत्रों की संख्या दर्शायी गई है तथा कुल 1420/- ₹00 न्यायशुल्क प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार पूछताछ प्रार्थना पत्रों की संख्या 827 दर्शायी गई है तथा कुल 17540/- रुपये न्यायशुल्क प्राप्त हुआ है। इस प्रकार इस त्रैमास में निरीक्षण एवं पूछताछ प्रार्थनापत्रों के माध्यम से न्यायशुल्क के रूप में कुल मु० 18960/- रुपये राजस्व प्राप्त हुआ है।

सरकारी शासनादेश सामान्य नियम व्यवहार 1957 में संशोधन (सरकार के नोटिफिकेशन न० 1256/vii न्याय-2-2018-93G-2018) दिनांकित 14.08.2018 के अनुक्रम में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश गोण्डा के आदेश दिनांक 01.09.2020 के अनुपालन में दिनांक 02.09.2020 से संशोधित न्यायशुल्क लिया जा रहा है।

4. दाखिला पंजिका

यह पंजिका प्रारम्भ सितम्बर 2009 से इस अनुभाग में निस्तारित पूछताछ प्रार्थना पत्रों संयुक्त गार्ड फाइल के दाखिला से सम्बन्धित है। इसके अवलोकन से यह पाया गया कि अगस्त 2020 तक निस्तारित पूछताछ प्रार्थना पत्रों को अभिलेखागार में दाखिल किया जा चुका फेर भी सम्बन्धित लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारित पूछताछ प्रार्थना पत्रों को तिथि के अन्दर अभिलेखागार में दाखिल कर दिया करें।



श्री नरेश्वरी,
जि.प्रि.का
ग.दु.वि.का
भौतिक 2 व 4
जु.पालन कि.का
पा एवं कि.का
ग 2 व 4
AL

6. वैधानिक निरीक्षण की सुरक्षा पंजिका

यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 20.12.2014 से प्रारम्भ की गई है। इस सुरक्षा पंजिका में आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। इस पंजिका में इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी द्वारा सम्बन्धित वैधानिक निरीक्षण आख्याओं को क्रमवार चरपा एवं सूचीबद्ध किया गया है। इस सुरक्षा पंजिका की अन्तिम प्रतिष्ठि: वैधानिक निरीक्षण आख्या संख्या संख्या 2020 की है। सुरक्षा पंजिका का रख रखाव उचित ढंग से किया जा रहा है।

6. स्थानीय आदेश की सुरक्षा पंजिका

यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 25.03.2019 से प्रारम्भ की गई है। इस सुरक्षा पंजिका में आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। इस सुरक्षा पंजिका में इस अनुभाग द्वारा विभिन्न न्यायालय, कार्यालय को भेजे गये प्रपत्रों की प्रतिरिति एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय मीरठ के कार्यालय से प्राप्त आदेशों को सुरक्षित रखा जाता है। इस सुरक्षा पंजिका का रख रखाव उचित ढंग से किया जा रहा है। अन्तिम आदेश क्रम सं 60 दिनांकित 09.09.2020 की है, जो कर्मचारियों की उपस्थिति सूचना में है। इस सुरक्षा पंजिका को प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया है।

7. सुरक्षा पंजिका बाबत शासनादेश

यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 01.08.2000 से अनुरक्षित है। इस सुरक्षा पंजिका में आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। इस सुरक्षा पंजिका में चरपा किये जाने हेतु किसी प्रकार का कोई प्रपत्र प्रशासनिक कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ है। पंजिका का रख रखाव उचित ढंग से किया जा रहा है। इस सुरक्षा पंजिका की अन्तिम प्रतिष्ठि: दिनांक 01.08.2020 की है, जो सामान्य सूची से सम्बन्धित है। इस सुरक्षा पंजिका को प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि शासनादेशों की सुरक्षा पंजिका नियमित रूप से प्रत्येक माह में अपने प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

8. सुरक्षा पंजिका बाबत माननीय उच्च न्यायालय

यह सुरक्षा पंजिका माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रपत्रों को सुरक्षित रखने हेतु अनुरक्षित की गई है। यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 18.01.2000 से प्रारम्भिक की गई है। इस सुरक्षा पंजिका की अन्तिम प्रतिष्ठि: दिनांक 10.06.2015 की है, जो विभागीय जांचों से सम्बन्धित है, जो माननीय उच्च न्यायालय के अर्द्धशासकीय पत्र सं 0-1-621/2015 दिनांकित 06.06.2015 की है। इस सुरक्षा पंजिका में माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त प्रपत्रों को सूचीबद्ध करते हुए क्रम से चरपा किया गया है। कार्यालय लिपिक को निर्देशित किया जाता है कि इस सुरक्षा पंजिका को प्रभारी अधिकारी के समक्ष अवलोकनार्थ नियमित रूप से प्रत्येक माह में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

अनुपम,
निदेशिका
वा.स.के.ए.
मौखिक
उच्च न्यायालय
गणेश
17.2.2021

अनुपम,
निदेशिका
वा.स.के.ए.
मौखिक
उच्च न्यायालय
गणेश
17.2.2021

8

9. सुरक्षा पंजिका द्वारा वार्षिक निरीक्षण आख्या

यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 01.12.2014 से अनुरक्षित है, जिसपर लेखित तथा आमुख/शीर्षक चरपा किया गया है। इस सुरक्षा पंजिका की अंतिम प्रतिष्ठि दिनांक 12.02.2020 की है, जो वार्षिक निरीक्षण आख्या वर्ष 2019 से सम्बंधित है। यह सुरक्षा पंजिका नियमित रूप से इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को समस्त अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गयी है।

10. प्रभारी अधिकारी केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग द्वारा पारित आवेदों से सम्बंधित सुरक्षा पंजिका

यह सुरक्षा पंजिका दिनांक 01.08.2020 से अनुरक्षित है। इस सुरक्षा पंजिका में समस्त कामजात चरपा व सूचीबद्ध है। सुरक्षा पंजिका को नियमित रूप से इस अनुभाग के प्रभारी अधिकारी को समस्त प्रस्तुत किया गया है। इस सुरक्षा पंजिका की अंतिम प्रतिष्ठि दिनांकित 20.08.2020 की है, जो निरीक्षण प्रार्थनापत्रों के त्वरित विस्तारण के सम्बन्ध में है।

11. उपस्थिति पंजिका

यह पंजिका दिनांक 01.01.2018 से प्रारम्भ की गयी है, जो सादे कामज पर निर्मित है। इस पंजिका में इस अनुभाग में कार्यरत कर्मचारी द्वारा प्रत्येक दिवस में अपना हस्ताक्षर बनाया गया है तथा कार्यालय आने जाने का समय भी अंकित किया गया है।

12. आकस्मिक अवकाश पंजिका


यह पंजिका दिनांक 01.01.2005 से सामान्य नियम व्यवहार के नियम 410 के अन्तर्गत अनुरक्षित है। उपस्थिति पंजिका दर्ज अवकाश का गिलान आकस्मिक अवकाश पंजिका की प्रतिष्ठियों से किया गया है। समस्त प्रतिष्ठियाँ सही पायी गयी हैं। अतः किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।

13. सामान्य

निरीक्षण के दौरान मैंने पंजिका एवं प्रपत्रों का रख रखाव सही ढंग से पाया गया है। मार्ड फाइल व अन्य कामजात उचित ढंग से अलमारी में रखे पाये गये। इस निरीक्षण आख्या में इम्पिग्ट निर्देशों के अनुपालनोपरान्त निरीक्षण आख्या की दोनों प्रतियाँ माननीय जनपद न्यायाधीश गोण्डा की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित की जाये।

निरीक्षण के दौरान निरीक्षण एवं पूछताछ अनुभाग के कार्यालय में साफ-सफाई व प्रकाश तथा कार्यालय में उपलब्ध फर्नीचर की व्यवस्था पर्याप्त पायी गयी।

दिनांक: 29.09.2020



(रनवीर सिंह)

प्रभारी अधिकारी/केन्द्रीय निरीक्षण एवं पूछताछ
अनुभाग, जनपद न्यायालय गोण्डा।

प्रभावित किया जाता है कि निरीक्षण आख्या में दिये गये निर्देशों/त्रुटियों का वास्तविक एवं मौखिक रूप से सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा अनुपालन किया गया एवं भविष्य में अनुपालन किये जाने हेतु नोट किया गया।

(रघुवीर सिंह)

01.10.2020
प्रभारी अधिकारी/केन्द्रीय निरीक्षण एवं सूछताउ
अनुभाग, जनपद न्यायालय मोथका।